मूलवाद सं0–13/2017

दिनांक–115.03.2019

पत्रावली पेश हुई।

पुकार पर उभयपक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

उभयपक्षों के परस्पर विरोधी अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये जाते हैं।

1. क्या वाद पत्र में वर्णित अभिकथनों के आधार पर वसीयतनामा दिनांकित 20.09.2017 जिसकी रजिस्ट्री उपनिबंधक कार्यालय कुलपहाड़ की बही संख्या–3, खण्ड संख्या–13 पृष्ठ संख्या–95/100 पर क्रमांक संख्या 62 पर की गयी है, निरस्त/मंसूख किये जाने योग्य है?

2. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है

3. क्या अदा किया गया न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

4. क्या इस न्यायालय को वाद श्रवण का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है?

5. क्या वादी को वाद कारण प्राप्त नहीं है?

6. अन्य अनुतोष?

उपरोक्त वाद बिन्दुओं के अतिरिक्त अन्य कोई वाद बिन्दु विरचित नहीं होता है। वाद बिन्दु पक्षगण को पढ़कर सुनाये गये। पक्षगण की ओर से अन्य किसी वाद बिन्दु की संरचना पर कोई बल भी नहीं दिया गया है।

उभयपक्षों से धारा–89 सी0पी0सी0 न्यायालय के बाहर आपसी सुलह समझौते से विवाद के निपटारे के बाबत पूछा गया। उभयपक्षों ने इंकार किया।

पत्रावली वास्ते निस्तारण वाद बिन्दु सं0–2 हेतु दिनांक–26.04.2019 को पेश हों।

सिविल जज (जू0डि0)
कुलपहाड़ महोबा।